शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 मार्च 2023
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

संविधान सभा और हिंदी भाषा

डॉ.अवधेश कुमार जौहरी
सहायक प्राध्यापक (हिंदी)
संगम विशवविद्यालय
भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत

शोध संक्षेप

आधुनिक हिंदी भाषा का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। प्राचीनकाल में संस्कृत भाषा प्रचलन में रही। बाद में उसका स्थान पाली और प्राकृत ने ले लिया। लगभग एक हजार साल पहले अपभ्रंश का उद्भव और विकास प्रारम्भ हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई। देश के अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग हिंदी बोली जाती थी। संतों ने उन्हीं बोलियों में अपने उदगार व्यक्त किये। विदेशियों के आगमन ने भाषा को समृद्ध किया। उनके शब्द बोलचाल की भाषा में घुलमिल गये। इन सबके बीच में खडी बोली हिंदी विकसति होती रही। देश के आजादी आन्दोलन में खडी बोली हिंदी ने संपर्क भाषा के रूप में महती भूमिका का निर्वाह किया। आजादी की आहट को सुनकर भाषा के मुद्दे ने जोर पकड़ा। राष्ट्र भाषा और राजभाषा को लेकर सभी का अपना-अपना दावा था। भाषा के प्रश्न को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस शोध पत्र में संविधान सभा में हिंदी भाषा के प्रति व्यक्त विचारों को अभिव्यक्त किया गया है।

संविधान सभा और हिंदी भाषा

सन 1946 में संविधान सभा गठित हुई तथा इसकी पहली बैठक दिनांक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई। दिनांक 11 दिसम्बर, 1946 की बैठक में राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। दिनांक 14 जुलाई,1947 की संविधान सभा के सत्र में यह प्रस्ताव आया कि हिन्दुस्तानी के स्थान पर हिन्दी को देश की सर्वमान्य भाषा माना जाए।[1] इस मुद्दे पर विचार करने के लिए संविधान सभा के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। कुछ सदस्यों ने हिन्दी के पक्ष में तथा कुछ सदस्यों ने हिन्दुस्तानी के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। हिंदी के पक्ष में सबसे अकाट्य दलीलें पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविन्द दास, डॉ. रघुवीर तथा दक्षिण भारत के अधिकांश सदस्यों की थीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि ने हिन्दुस्तानी के पक्ष में दलीलें दीं। इस मुद्दे पर जब सहमति नहीं बनी तब मतदान का निर्णय लिया गया। मतदान में हिन्दी के पक्ष में 63 मत पड़े तथा हिन्दुस्तानी के पक्ष में 32 मत पड़े।[2]

हिन्दी की लिपि के मुद्दे पर भी बहस हुई। कुछ सदस्यों ने अरबी-फारसी तथा कुछ सदस्यों ने रोमन लिपि को अपनाने के सम्बंध में दलीलें पेश कीं। इस मुद्दे पर अधिकांश सदस्य देवनागरी लिपि को अपनाने के पक्ष में थे। इस पर भी मतदान कराया गया। मतदान में देवनागरी लिपि के पक्ष में 63 तथा रोमन लिपि के पक्ष में केवल 18 मत पड़े। इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता दिवस के पहले ही दिनांक 14 जुलाई, 1947 को संविधान सभा के कांग्रेस पार्टी के

सदस्यों ने देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय ले लिया था।[3]

15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद तथा पाकिस्तान बनने के कारण मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। 14 जुलाई, 1947 से लेकर 14 सितम्बर, 1949 तक बहस इस मुद्दे पर होती रही कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप क्या हो।[4]

कुछ सदस्यों का मत था कि जब हमने यह निर्णय ले लिया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी तो हमें अंकों के मामले में भी देवनागरी लिपि के अंकों को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ सदस्यों का मत था कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अंक अंग्रेजी की तरह विदेशी नहीं हैं अपितु ये भारत से ही पहले अरब तथा अरब से यूरोप पहुँचे हैं इस कारण हमें अंकों के मामले में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार कर लेना चाहिए। दक्षिण भारत के कुछ सदस्यों ने जिन्होंने हिन्दुस्तानी की अपेक्षा देवनारी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाने के पक्ष में मतदान किया था उनमें से कुछ सदस्यों का मत था कि दक्षिण में हम हिन्दी के प्रचार में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करते हैं। संविधान सभा में भाषा विषयक बहस 278 पृष्ठों में मुद्रित है जिसका अधिकांश भाग अंकों के स्वरूप को लेकर हुई बहस से है। राजभाषा सम्बंधी विधेयक एकमत से पास हो इसके लिए डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तथा श्री गोपाल स्वामी आयंगार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अंकों के मुद्दे पर उन्होंने देवनागरी के अंकों के प्रयोग का मोह त्यागने तथा अन्तरराष्ट्रीय अंकों को स्वीकार करने के लिए वातावरण बनाने की कोशिश की। संविधान सभा के सदस्यों में से दो माननीय सदस्यों श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी तथा मोटूरि सत्यनारायण ने डॉ.राजेंद्र प्रसाद को इस बात से अवगत कराया कि उनका तर्क था कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी को राजभाषा बनाने की बात उन सदस्यों ने स्वीकार कर ली है जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है[5] इस कारण हिन्दी भाषा सदस्यों को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वे अन्तरराष्ट्रीय अंकों के प्रयोग की बात मान लें जिससे राजभाषा सम्बंधी विधेयक सर्वसम्मति से पास हो सके। उनकी भूमिका के कारण यह सहमति बनी थी कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वास्तव में अंकों को छोड़कर संघ की राजभाषा के प्रश्न पर अधिकांश सदस्यों में कोई मतभेद नहीं था। अंकों के बारे में भी यह स्पष्ट था कि अंतर्राष्ट्रीय अंक भारतीय अंकों का ही एक नया संस्करण है।

अंत में अंकों के स्वरूप पर 2 सितम्बर, 1949 ई. की बैठक में मतदान कराया गया। मतदान में दोनों पक्षों को बराबर अर्थात् 77-77 मत प्राप्त हुए अंत में संविधान सभा के सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने दक्षिण भारत के हिन्दी प्रेमी सदस्यों की भावना तथा डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी आयंगार की इस भावना को ध्यान में रखकर कि राजभाषा सम्बंधी विधेयक का प्रारूप ऐसा हो जिस पर सभा के सदस्यों की आम सहमति हो तथा जब दक्षिण भारत के अधिकांश सदस्यों ने देश के हित को ध्यान में रखकर देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाना स्वीकार कर लिया है तो अंकों के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाया जा सकता है, अपना निर्णायक मत अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग के पक्ष में दिया तथा

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 मार्च 2023
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

एक मत के अधिक होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग का प्रस्ताव पास हो गया।[6]

देवनागरी के अंक बनाम अंतर्राष्ट्रीय अंक के प्रयोग के मुद्दे को अंग्रेजी के विद्वानों ने हिन्दी बनाम अंग्रेजी नाम दे दिया। उनके वक्तव्य को प्रमाण मानकर तथा उसका संदर्भ देकर अंग्रेजी में लिखे हुए भारत विषयक संदर्भ ग्रंथों में यह प्रतिपादित किया गया है कि एक मत अधिक होने के कारण अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा बना दिया गया। यह भ्रांति उन सभी लोगों को है जिनका ज्ञान अंग्रेजी के भारत विषयक संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है। अंग्रेजी में लिखे हुए भारत विषयक संदर्भ ग्रंथों के आधार पर संघ की राजभाषा के सम्बंध में भ्रामक धारणा बनाने वालों से मेरा यह विनम्र निवेदन एवं आग्रह है कि वे सभी भागों का अध्ययन करें, जिससे अंग्रेजी के ग्रंथों द्वारा गढ़ा गया मिथक टूट सके तथा उनको वास्तविकता का पता चल सके। सभा में राजभाषा सम्बंधी भाग के पारित होने के बाद सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने जो उद्गार व्यक्त किए वे तत्कालीन सभा के सदस्यों के मनोभावों को आत्मसात करने का लिखित दस्तावेज है -

"अब आज की कार्यवाही समाप्त होती है, किंतु सदन को स्थगित करने से पूर्व मैं बधाई के रूप में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरे विचार में हमने अपने संविधान में एक अध्याय स्वीकार किया है जिसका देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे इतिहास में अब तक कभी भी एक भाषा को शासन और प्रशासन की भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी।[7] हमारा धार्मिक साहित्य और प्रकाशन संस्कृत में सन्निहित था। निस्संदेह उसका समस्त देश में अध्ययन किया जाता था, किंतु वह भाषा भी कभी समूचे देश के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं होती थी। आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जब कि हमने अपने संविधान में एक भाषा लिखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी और उस भाषा का विकास समय की परिस्थितियों के अनुसार ही करना होगा। मैं हिन्दी का या किसी अन्य भाषा का विद्वान होने का दावा नहीं करता, मेरा यह भी दावा नहीं है कि किसी भाषा में मेरा कुछ अंशदान है, किंतु सामान्य व्यक्ति के नाते मैं उस भाषा के स्वरूप के बारे में विचार करना चाहता हूँ जिसे हमने आज संघ के प्रशासन की भाषा स्वीकार किया है। हिन्दी में विगत में कई-कई बार परिवर्तन हुए हैं और आज उसकी कई शैलियाँ हैं, पहले हमारा बहुत्सा साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया था।

अब हिंदी में खड़ी बोली का प्रचलन है। मेरे विचार में देश की अन्य भाषाओं के संपर्क से उसका और भी विकास होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिन्दी देश की अन्य भाषाओं से अच्छी-अच्छी बातें ग्रहण करेगी तो उससे उन्नति ही होगी, अवनति नहीं होगी। हमने अब देश का राजनैतिक एकीकरण कर लिया है। अब हम एक दूसरा जोड़ लगा रहे हैं जिससे हम सब एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक हो जाएँगे।

अंग्रेजी का छह हिन्दी के सात से बहुत मिलता है, यद्यपि उन दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। हिन्दी का नौ जिस रूप में लिखा जाता है, मराठी से लिया गया है और अंग्रेजी के 9 से बहुत मिलता है।

संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा में परिवर्तन हुआ। बुद्ध के समय लोकभाषा के रूप में पाली प्रचलित हुई बाद में वही भाषा प्राकृत भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसका प्रचलन पहली ईस्वी से 500वीं ईस्वी तक रहा है। कालान्तर में

प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय रूप बदले और अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठापित हो गई। इनका प्रचलन 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। अपभ्रंश से ही हिन्दी भाषा का जन्म हुआ। हिन्दी भाषा में साहित्य रचना का समय तेरहवीं शताब्दी से माना जाता है।[8]

देश की अनेक भाषाओं का उद्‌गम संस्कृत भाषा ही है। हिन्दी को संस्कृत की बेटी कहा जाता है। संभवतः संस्कृत प्राचीन काल में आम जन की भाषा रही है जैसे आज हिन्दी है। हमारे धर्म गुरूओं, साधु संतों और सहित्यकारों के प्रयास से ही संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी भाषा को भी यथोचित सम्मान मिला और आमजन की भाषा से इसका विकास होता गया। दिनांक 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य से 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संविधान के अनु. 351 में हिन्दी भाषा के विकास हेतु स्पष्ट उल्लेख है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ावे, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में आंठवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रुपए शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक और वांछनीय हो वहाँ शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी रहेगी। अनुच्छेद 343 (2) में संविधान के क्रियाशील होने से 15 वर्ष तक के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को अधिकृत किया गया था। अनुच्छेद 343 (3) में संसद को उक्त अवधि के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को अधिकृत करने हेतु विधि निर्माण का अधिकार दिया गया था। राजभाषा अधिनियम 1964 द्‌वारा यह उपबन्ध किया गया था कि सभी राजकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी 1971 तक होता रहेगा। पुनः राजभाषा अधिनियम 1967 द्‌वारा अंग्रेजी को अनिश्चित समय तक जारी रखने का उपबन्ध किया गया। संविधान में यह जोड़ दिया गया कि जब तक एक भी राज्य चाहेगा तब तक अंग्रेजी केन्द्रीय सरकार की सम्पर्क भाषा बनी रहेगी। वस्तुतः 26 जनवरी 1965 में हिन्दी राजभाषा बन गई थी।[9]

वस्तुतः हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा के रुप में संवैधानिक रुप देने में विलम्ब का कारण इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। सन् 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ जिसका तमिलनाडू में विरोध हुआ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरु ने संसद में कहा था कि जब तक सभी राज्य न चाहे तब तक शासकीय कार्यों में अंग्रजी का उपयोग होता रहेगा। यही निर्णय राष्ट्र भाषा हिन्दी के लिए अभिशाप बन गया।[10]

हिन्दी को सही अर्थों में राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ी अड़चन सरकार के स्तर पर उसके उपयोग को बढ़ावा देने में कभी भी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। यदि विदेशी राजनेताओं के साथ हिन्दी में बातचीत का सिलसिला बनाये रखते तो इससे तमाम सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिलता। प्रसन्नता है कि वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस दिशा में पहल की है। सार्क देशों के नेताओं से और विदेशी प्रतिनिधियों से अब वे

हिन्दी भाषा में ही बातचीत करेगें। प्रधानमन्त्री की यह भावना राष्ट्र भाषा के प्रति सम्मान और समर्पण की है।

यदि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र भाषा के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना रखते हुए बातचीत और सीखने में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बलवती इच्छा शक्ति के साथ करे तो वह दिन दूर नहीं जब समूचे देश में हिन्दी भाषा ही आम भाषा बनकर राष्ट्र भाषा का स्वरूप निश्चित कर पायेगी। राष्ट्र भाषा स्वाभिमान न्यास द्वारा आयोजित समारोह में न्यास के अध्यक्ष श्री उमा शंकर मिश्र ने कहा हैं कि देश को पराधीनता से मुक्त हुए 67 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी भाषाई गुलामी से हमारा देश आज भी परतंत्र है।[11]

अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि इस देश में बहुत-सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रान्त पृथक हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासम्भव बुध्दिमानी का कार्य किया है। मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी सन्तति इसके लिए हमारी सराहना करेगी।

मूल्यांकन

यदि साहित्यकार, फिल्म के संवादों तथा गीतों का लेखक, समाचार पत्रों के रिपोर्टर जनप्रचलित हिन्दी का प्रयोग कर सकता है तो भारत सरकार का शासन, प्रशासन की राजभाषा हिन्दी को जनप्रचलित क्यों नहीं बना सकता। भाषा की क्षमता एवं सामर्थ्य शुद्धता से नहीं, निखालिस होने से नहीं, ठेठ होने से नहीं, अपितु विचारों एवं भावों को व्यक्त करने की ताकत से आती है। मैं इस समाचार का भी स्वागत करता हूँ कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।[12] जब जनता को समझ में आने वाली सरल हिन्दी में मूल टिप्पण लिखा जाएगा, अंग्रेजी के टिप्पण का हिन्दी में अनुवाद नहीं किया जाएगा तो वह हिन्दी दौड़ेगी। गतिमान होगी। प्रवाहशील होगी। भारत सरकार के राजभाषा विभाग को यह सुझाव भी देना चाहता हूँ कि जिन संस्थाओं में सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य हिन्दी में शतकों अथवा दशकों से होता आया है वहाँ की फाइलों में लिखी गई हिन्दी भाषा के आधार पर प्रशासनिक हिन्दी को सरल बनाएँ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 श्री रामबाबु शर्मा, हिंदी भाषा आयोग

2 भारत की भाषा समस्या पृष्ठ 13 राजकमल प्रकाशन 2020

3 भारत की भाषा समस्या पृष्ठ 13 राजकमल प्रकाशन 2020

4 भारत की भाषा समस्या पृष्ठ 13 राजकमल प्रकाशन 2020

5 पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र भाषा का सवाल पृष्ठ 23 अहमदाबाद 1956

6 स्वतंत्रता पूर्व भारत की हिंदी, पृष्ठ 44 कोयम्बतूर

7 केन्द्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली

8 स्वतंत्रता पूर्व भारत की हिंदी, पृष्ठ 44 कोयम्बतूर

9 केन्द्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली

10 भारतीय संविधान आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 351

11 पंडित जवाहरलाल नेहरू

12 श्री उमा शंकर मिश्र